



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. K. K. K.  
13-12-84

सं० 512] नई दिल्ली, बुधवार, प्रवृत्त 17, 1984/आश्विन 25, 1906  
No. 512] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1984/ASVINA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1984

क्र० आ० 795(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में एतद्द्वारा आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1984 (एक सौ बासठवां संशोधन) होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "संस्कृति विभाग" उप-शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 6 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"6क. जलियांबाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास।"

(ख) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—

(1) "क. पेट्रोलियम विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 11 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"11क. तेल क्षेत्र सेवाओं की योजना, विकास और विनियमन।";

(2) "ग कोयला विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 9 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—  
"9क. खानों में उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत नियम।";

(ग) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 21 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—  
"21क. विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान।";

(घ) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. आर्थिक कार्य विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 72 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अस्त-स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"X. भारतीय आर्थिक सेवा का प्रबन्ध।

73. भारतीय आर्थिक सेवा के प्रबन्धन के केन्द्रीय पहलू तथा उक्त सेवा के प्रशिक्षण, भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी मामले।";

(ङ) "स्वास्थ्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "स्वा. नागरिक विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—  
"5. चोर बाजारी निवारण और आयपक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980; ऐसे निरोध के अध्यक्षीन व्यक्ति।";

(च) (1) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) भाग-I—संघ विषयो मे,—

(i) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"33 न्यायिक मामलों में अन्य देशों के साथ हुए अभिसमय, जिनके अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी प्रश्न और अरबीय प्रकाशनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सभटन से प्राप्त निदेश आते हैं।";

(iii) प्रविष्टि 64 में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"नोट. समस्त नीति के बारे में गृह मंत्रालय नोटिस मंत्रालय होगा लेकिन उसमें संबंधित किसी एक विषय के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उस विषय में सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग की ही होगी।";

(ख) भाग I क—संघीय और समवर्ती विषयों में प्रविष्टि 79 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की की जाएगी, अर्थात् —

"79क. किसी केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग को विशिष्टतया आवंटित विन्दार तक को छोड़कर निवारक निरोध, ऐसे निरोध के अध्यक्षान व्यक्ति

79ख. बन्धियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।";

(ग) भाग II—समवर्ती विषयो मे,—

(i) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, कोष्ठक और "(केवल" शब्द से आरम्भ होने वाले तथा "प्रविष्टि 82" शब्द, अंक और कोष्ठक) शब्द से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् —

"(केवल विधान के सदस्य में और संविधान द्वारा अथवा समझ द्वारा निमित्त किसी कानून द्वारा संघीय सरकार अथवा उसके अधीन प्राधिकारी को वित्त-टिण्टतया प्रवृत्त कार्यकारी शक्ति);";

(ii) प्रविष्टि 82 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"82. आलकवादियों से प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984—विशेष और अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, और उस अधिनियम के अंतर्गत सभी मामले।";

(iii) प्रविष्टि 83 और 84 का लोप किया जाएगा ;

(2) "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,—

(i) प्रविष्टि 19 की उप-प्रविष्टि (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय विश्वविद्यालय सेवा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।";

(ii) प्रविष्टि 41 की उप-प्रविष्टि (च) का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 42 की उप-प्रविष्टि (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय विश्वविद्यालय सेवा के लिए शिष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना में सम्बद्ध सभी मामले।";

(घ) "योजना मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत "सांख्यिकी विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 5 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"6. भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबन्धन के केन्द्रीय पहलुओं और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, शिष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना में सम्बद्ध सभी मामले।";

(ज) "सामाजिक कल्याण मंत्रालय" के अंतर्गत, भाग IV में, प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"8. सामाजिक सुरक्षा संबंधी मामलों में अन्य देशों के साथ हुए अभिसमय, और अपराध का निवारण और अपराधियों के साथ व्यवहार में संबंधित संयुक्त राष्ट्र मध्य से प्राप्त निदेश।"

(झ) "पर्यावरण विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 4 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"4क. पद्मशा नायडु रिमागपीय प्राणि विज्ञान पार्क।"

जैल सिंह,  
राष्ट्रपति

[गं० 74/3/3/84—मंत्रि०]

आर० वैकटवारायणन, अपर सचिव

## CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1984

**S.O. 795(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and Sixty-second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA AUR SANSKRITI MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)" after entry 6 the following entry shall be inserted, namely :—

"6A. Jallianwala Bagh National Memorial Trust.";

(b) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)",—

(1) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)" after entry 11, the following entry shall be inserted, namely :—

"11A. Planning, development and regulation of oil-field services.";

- (2) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)", after entry 9 the following entry shall be inserted, namely :—
- "9A. Rules under the Mines Act, 1952 (35 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.";
- (c) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", after entry 21, the following entry shall be inserted, namely :—
- "21A. Foreign Service Training Institute.";
- (d) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)"; under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", after entry 72 the following entries shall be inserted, namely :—
- "X. Management of the Indian Economic Service. 73. Centralised aspects of managing the Indian Economic Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that Service.";
- (e) under the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)", for entry 5, the following entry shall be substituted, namely :—
- "5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980; persons subjected to such detention.";
- (f) (1) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)",—
- (A) In Part I—Union Subjects ;—
- (i) entry 32 shall be omitted;
- (ii) for entry 33, the following entry shall be substituted, namely :—
- "33. Conventions with other countries in judicial matters including questions relating to International Court of Justice and references from the United Nations Organisation relating to obscene publications.";
- (iii) to entry 68, the following note shall be added, namely :—
- "NOTE : The Ministry of Home affairs will be the nodal Ministry for overall policy, but the actual implementation of any individual aspect thereof will be the responsibility of the Central Ministry or Department concerned with that aspect.";
- (B) in Part IA—Union and Concurrent subjects, after entry 79, the following entries shall be inserted namely :—
- "79A. Preventive detention, except to the extent specifically allotted to any other Central Ministry or Department; persons subjected to such detention.
- 79B. Removal from one State to another State of prisoners, accused persons and persons subjected to preventive detention.";
- (C) in part II—Concurrent subjects,—
- (i) in the opening paragraph, for the portion beginning with the bracket and words "(as regards" and ending with the word figures and bracket "entry 82)", the following shall be substituted, namely:—
- "as regards only legislation and any executive power expressly conferred by the Constitution of any law made by Parliament, upon the Union or authorities thereof.";
- (ii) for entry 82, the following entry shall be substituted, namely:—
- "82. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984—Establishment of Special and Additional Courts, and all other matters, under that Act.";
- (iii) entries 83 and 84 shall be omitted;
- (2) under the sub-heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)",—
- (i) for sub-entry (C) of entry 19 the following sub-entry shall be substituted, namely:—
- "(c) Training programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.";
- (ii) sub-entry (f) of entry 41 shall be omitted;
- (iii) for sub-entry (b) of entry 42, the following sub-entry shall be substituted, namely:—
- "(b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.";
- (g) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", under the sub-heading "DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)", after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—
- "6. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that Service.";
- (h) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", in Part IV, for entry 8, the following entry shall be substituted namely:—
- "8. Conventions with other countries in matters relating to social defence and references from United Nations Organisation relating to prevention of crime and treatment of offenders.";
- (i) under the heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)", after entry 4, the following entry shall be inserted, namely:—
- "4A. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park."

ZAIL SINGH,  
President

[No. 74/3/84-Cab.]  
R. VENKATANARAYANAN, Addl. Secy.

